संख्या-22/2015/वे0आ0-2-306/दस-8(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
न्याय विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 27 अप्रैल, 2015**

विषय- उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता/ राज्य विधि अधिकारी कार्यालय के पुस्तकालय के शोध सहायक की वेतन विसंगति तथा राज्य विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता कर्यालय के नैत्यक श्रेणी लिपिक से सम्बन्धित प्रकरणों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता/ राज्य विधि अधिकारी कार्यालय के पुस्तकालय के शोध सहायक की वेतन विसंगति का प्रकरण तथा राज्य विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता कार्यालय के नैत्यक श्रेणी लिपिक के सम्बन्ध में वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय में उल्लिखित 10 वर्ष की सेवावधि को 08 वर्ष किये जाने से सम्बन्धित प्रकरण मुख्य सचिव समिति को संदर्भित हुये। उक्त प्रकरणों पर मुख्य सचिव समिति की दिनांक 18 मार्च, 2015 को सम्पन्न बैठक में विचार किया गया।

2- मुख्य सचिव समिति की उक्त बैठक दिनांक 18 मार्च, 2015 का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित है। क़पया अवगत होना चाहे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-22/2015/वे0आ0-2-306(1)/दस-8(मु0स0स0)/2011टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।